आशा देवी बनाम जगदीश
प्रा०पत्र अस्थाई निषे० प्र०नं० - 80/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	वास्ते निर्णय आदेश मूल प्रार्थना पत्र T.I. पत्रावली दिनांक 26.07.23 को पेश हों। दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
26.7.23	पत्रावली वास्ते निर्णय आदेश हेतु आज पेश हुई। वकलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में समय अभाव के कारण मेरे द्वारा निर्णय नहीं लिखाया जा सका। वास्ते निर्णय आदेश पत्रावली दिनांक 04-08-2023 को पेश हों। दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
04.8.23	पत्रावली आज वास्ते आदेश निर्णय मूल प्रार्थना पत्र T.I. पेश हुई। वकलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। वकील प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार की जाती है। तथा अप्रार्थीगण को वादग्रस्त अराजी भूमि की प्रार्थीया के हिस्से तक मौका एवं [illegible] यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द [illegible] जाता है। प्रकरण में विस्तृत निर्णय [illegible] द्वारा पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया जाता है। मूल प्रार्थना पत्र T.I. मूल वादपत्र के हमशामिल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। Rathore 04/08/23 दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.08 16:54:31 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
80 / 2022	2022 / 221	13.09.2022	04.08.2023

उनवान प्रकरण

1. माया देवी उम्र 35 साल पुत्री जगदीश प्रसाद पत्नि लक्ष्मीनारायण सैनी जाति माली निवासी ढाणी सड़क वाली तन थोई हाल वार्ड नम्बर 21 गावडी मोड छावनी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राजस्थान

-- प्रार्थीया / वादीया--

बनाम्

1. जगदीश उम्र साल पुत्र भगवाना
2. महिपाल उम्र साल
3. मुकेश सैनी उम्र साल

   पुत्रगण जगदीश
4. सन्जू उम्र साल
5. सुशीला उम्र साल
6. गुड्डी देवी उम्र साल
7. पुष्पा देवी उम्र साल
8. रिन्कू देवी उम्र साल

   पुत्रियां जगदीश जाति समस्त माली नि[illegible] ढाणी सडक वाली तन थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला [illegible]
9. उप पंजीयक अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

--अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण--

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.08 16:54:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

04/08/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपस्थित : – श्री गिरीराज शर्मा एड0 प्रार्थीया की ओर से।

श्री श्रवण कुमार यादव एड0 अप्रार्थीगण संख्या–1 ता 4 व 8 की ओर से।

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधिनियम)

कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

––:: निर्णय ::––

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1006 से 1010, 1012, 306, 871 कुल किता 8 कुल रकबा 1.27 है0 अवस्थित ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान है जिसमें वादी/प्रार्थी व प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण 1 से 8 का पैतृक रूप से 1/12 हिस्सा है व शेष भूमियों में 1/12 हिस्सा दावें में प्रतिवादी नम्बर 9 का है व 1/6 हिस्सा दावे में प्रतिवादीगण नम्बर 10 से 20 तक का है व 1/6 हिस्सा ही दावे में प्रतिवादीगण नम्बर 21 से 26 का है व 1/8 हिस्सा ही दावे में प्रतिवादी नम्बर 27 का व 1/8 हिस्सा दावे में प्रतिवादी नम्बर 28 का व 1/8 हिस्सा ही दावे में प्रतिवादी नम्बर 29 का एवं 1/8 हिस्सा ही दावे में प्रतिवादी नम्बर 30 का है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 309 व 405 एवं 406 कुल किता 3 कुल रकबा 0.36 है0 अवस्थित ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान है जिसमें वादीया/ प्रार्थीया व प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण नम्बर 1 से 8 का 1/6 हिस्सा पैतृक सम्पदा के रूप में है व 1/6 हिस्सा ही दावे में प्रतिवादी नम्बर 9 का है एवं 1/3 हिस्सा दावे मे प्रतिवादीगण नम्बर 10 से 20 तक का है एवं 1/3 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.08 16:54:31 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दावे में प्रतिवादी नम्बर 21 से 26 तक का हैं। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1020, 1021, 1027 कुल किता 3 कुल रकबा 0.40 हे0 अवस्थित ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान है व इस भूमि में 1/2 हिस्सा पैतृक रूप से वादीया/प्रार्थीया नम्बर 1 एवं प्रतिवादीनी/अप्रार्थीगण नम्बर 1 से 8 का व 1/2 हिस्सा दावे में प्रतिवादीनी नम्बर 9 का है। वादीया/प्रार्थीया एव प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण एक ही खानदान के है। उक्त वर्णित भूमियां के पुराने खसरा नम्बर 946, 947, 936, 241, 955, 959, 957 व 960 है। उक्त वर्णित भूमियां पैतृक है जो खातेदारी प्रतिवादी/अप्रार्थी नम्बर 1 के नाम दर्ज है व प्रतिवादी/अप्रार्थीगण की स्वअर्जित नहीं होकर पिता दादा की विरासत से प्राप्त हुयी भूमि है। जिस कारण वादीया/प्रार्थीया को उक्त भूमि में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत वर्ष 2005 में हुये संशोधन के अनुसार विधिक रूप से अपनी इकाई अनुसार हक हिस्सा प्राप्त है जिसे वादीया/प्रार्थीया न्यायालय से स्वयं के नाम उद्घोषणा करवाने व अपने हिस्से का कानूनी विभाजन करवाकर पृथक रूप से बंटवारा कानूनी रूप से करवाने की अधिकारिणी वादीया/प्रार्थीया है। वादीया/प्राथीया का उक्त वर्णित भूमियों में 1/12 हिस्सा, जो प्रतिवादी/अप्रार्थी नम्बर 1 के नाम दर्ज है उसमें से 1/9 हिस्सा विधिक रूप से है व उक्त वर्णित भूमियों में जो 1/6 हिस्सा प्रतिवादी/अप्रार्थी नम्बर 1 के नाम दर्ज है उसमें भी वादीया/प्रार्थीया का 1/9 हिस्सा है एवं उक्त वर्णित भूमियों में प्रतिवादी/अप्रार्थी नम्बर 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्से में वादीया/प्रार्थीया का 1/9 हक हिस्सा विधिक रूप से है। उक्त वादग्रस्त भूमियां पैतृक है व वादीया/प्रार्थीया का नाम उक्त भूमियों में विधिक रूप से पूर्व मद अनुसार हक हिस्सा [illegible] रहा है। प्रतिवादी/अप्रार्थी नम्बर 1 से 8 ने मिलकर एक [illegible] है व ये सब मिलकर वादीया/प्रार्थीया का हक हिस्सा हडपना चाहते है। वादीया/प्रार्थीया द्वारा स्वयं के हक हिस्से को बांट छांटकर अलग करने हेतु कहने पर लडाई झगडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.08 16:54:31 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

करने व संगीन धमकियां देते है। लगभग सवा तीन साल पूर्व प्रतिवादी / अप्रार्थीगण महिपाल एवं मुकेश व सन्जू एवं सुशीला ने वादीया / प्रार्थीया के पति व वादीया / प्रार्थीया को मारपीट की थी जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 222 / 2019 थाना कोतवाली नीमकाथाना में दर्ज हुई थी जिसमे बाद अनुसंधान चार्जशीट नम्बर 203 / 2019 पुलिस द्वारा पेश की गयी थी। इसके पश्चात् लगभग दो–ढाई साल तक कोविड–19 जैसी महामारी के कारण आवागमन बाधित रहा व अब वादीया / प्रार्थीया जब वादग्रस्त भूमियो मे स्वयं के हक हिस्से अनुसार फसल बोने इत्यादि के लिए मौके पर जाती है तो प्रतिवादीगण / अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 लडाई झगडा करते है एवं वादीया / प्रार्थीया व उसके पति को भयाक्रान्त करते है व वादीया / प्रार्थीया ने प्रतिवादीगण / अप्रार्थीगण को कई मर्तबा पिछले एक साल मे भूमियो का पृथक–पृथक हक हिस्से अनुसार बंटवारा करने हेतु कहा व वादीया / प्रार्थीया के नाम उसके हक हिस्से अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज कराने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 8 पिछले लगभग एक वर्ष से लगातार टाल मटोल कर रहे है एवं वादीया / प्रार्थीया को सुख शांतिपूर्वक अपने हक हिस्से की भूमि पर काश्त नहीं करने दे रहे है तथा वादग्रस्त सम्पदा को दीगर किसी को विक्रय करने एवं खुर्द बुर्द करने पर आमादा है तथा कहने सुनने से मान नही रहे है, यही कारण है कि प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हो गया है। वादीया / प्रार्थीया के साथ प्रतिवादीगण / अप्रार्थीगण नम्बर 1 से 8 का व्यवहार अत्यन्त कटू व रंजिशयुक्त है व इनके साथ सम्मलित मे अब उक्त भूमियो का उपयोग करना सम्भव नही रह गया [illegible] स्वयं के नाम खातेदारी नही नही होने व कानूनी [illegible] कारण सारभूत क्षति हो रही है व अत्यधिक असु[illegible]ना पड रहा है व कृषको को मिलने वाली असुविधाओ से वंचित होना [illegible] रहा है व प्रतिवादीगण / अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.08 16:54:31 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

नम्बर 1 से 8 कानूनी हीनता युक्त आचरण करते हुए वादीया/प्रार्थीया के हक हिस्से की भूमि का भी अनुचित फायदा वादीया/प्रार्थीया के साथ हीन व अशोभनीय व्यवहार कर के भी उठाने पर आमादा है। उक्त भूमियां पैतृक होने के कारण वादीया का स्वयं के हक हिस्से के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज करवाने का कानूनी हक है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन वहक प्रार्थीया है तथा निषेधाज्ञा जारी नहीं होने पर गंभीर अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीया को ही होगी।

अतः प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर अनुतोष इस प्रकार चाहा है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा प्रतिबंधित फरमाया जावें कि उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1006 से 1010, 1012, 306, 871 कुल किता 8 कुल रकबा 1.27 है0 अवस्थित ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अप्रार्थी नम्बर 1 के नाम 1/12 हिस्से में प्रार्थीया को उसके 1/9 हिस्से के व भूमि खसरा नम्बर 309 व 405 एवं 406 कुल किता 3 कुल रकबा 0.36 है0 अवस्थित ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में से अप्रार्थी नम्बर 1 के नाम 1/6 हिस्से में से प्रार्थीया के 1/9 हिस्से व भूमि खसरा नम्बर 1020, 1021, 1027 कुल किता 3 कुल रकबा 0.40 है0 अवस्थित ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान के 1/2 हिस्से में से 1/9 हिस्से के कब्जे काश्त में अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 कोई खलल व दखल नहीं डाले व दीगर से डलवाये व प्रार्थीया को उक्त भूमियों से बेदखल नहीं करे व इन भूमियों के बिना बंटवारे कोई कच्चा या पक्का निर्माण नहीं करे करावें ना ही इन भूमियों को अन्तरित करे ना ही गिरवी रखे या ऋणग्रस्त करे व दौराने दावा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति अप्रार्थी नम्बर 1 के नाम दर्ज खातेदारी के संबंध में बनाये रखे व अप्रार्थी संख्या 3 को प्रतिबंधित फरमाया जावें कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.08 16:54:31 IST
Reason: SelfAttested

04/08/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के द्वारा किसी भी प्रकार का विक्रय पत्र प्रस्तुत करने पर उसे पंजीबद्ध नहीं किया जावे।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 09 को जरिये रजिस्टर्ड डाक सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की ओर से श्री श्रवण कुमार यादव एड0 ने वकालतनामा पेश किया एंव जवाब टी.आई. हेतु पेश किया। अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 7 का सही पत्ता पेश करने बाबत वकील प्रार्थीगण को हिदायत दी गई। अप्रार्थी संख्या 8 व 9 की तामील सम्यक हो जाने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 व 8 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र टी0आई0 पेश किया गया। प्रकरण में वकील प्रार्थीगण ने आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील अप्रार्थीगण ने बहस सुनी जाने हेतु अपनी सहमत्ति व्यक्त की।

वकील अप्रार्थीगण की सहमति के आधार पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वादग्रस्त भूमियॉ पक्षकारान् की पैतृक भूमियॉ होकर इनकी खातेदारी प्रतिवादी/अप्रार्थी नम्बर 1 के नाम दर्ज रिकार्ड होना तथा प्रतिवादी/अप्रार्थीगण की स्वअर्जित नहीं होकर पिता दादा की विरासत से प्राप्त हुयी भूमि है। जिस कारण प्राथीया को उक्त भूमि में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत वर्ष 2005 में हुये संशोधन के अनुसार विधिक रूप से अपनी इकाई अ[illegible] हिस्सा प्राप्त है जिसे प्राथीया न्यायालय से स्वयं [illegible] अपने हिस्से का कानूनी विभाजन करवाकर पृथक रूप से [illegible]वारा कानूनी रूप से करवाने की अधिकारिणी वादीया/प्राथीया है। वादीया/प्राथीया का उक्त [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.08 16:54:31 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक [illegible] (कारट ई क)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

में 1/12 हिस्सा, जो प्रतिवादी/अप्रार्थी नम्बर 1 के नाम दर्ज है उसमें से 1/9 हिस्सा विधिक रूप से है व उक्त वर्णित भूमियों में जो 1/6 हिस्सा प्रतिवादी/अप्रार्थी नम्बर 1 के नाम दर्ज है। उसमें भी वादीया/प्रार्थीया का 1/9 हिस्सा है एवं उक्त वर्णित भूमियों में प्रतिवादी/अप्रार्थी नम्बर 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्से में वादीया/प्रार्थीया का 1/9 हक हिस्सा विधिक रूप से है। उक्त वादग्रस्त भूमियां पैतृक है व वादीया/प्रार्थीया का नाम उक्त भूमियों में विधिक रूप से पूर्व मद अनुसार हक हिस्सा है व रहा है। प्रतिवादी/अप्रार्थी नम्बर 1 से 8 ने मिलकर एक षड़यंत्र कर लिया है व ये सब मिलकर वादीया/प्रार्थीया का हक हिस्सा हड़पना चाहते है। वादीया/प्रार्थीया द्वारा स्वयं के हक हिस्से को बांट छांटकर अलग करने हेतु कहने पर लड़ाई झगड़ा करने व संगीन धमकियां देते है। जिसके कारण अप्रार्थीगण को तादौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन वकील प्रार्थीगण के द्वारा अपनी बहस में किया है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

वही दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र टी0 आई0 में वर्णित तथ्यों को बार-बार दोहराते हुए अवगत कराया कि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1006 से 1010, 1012, 306, 871 कुल किता 8 कुल रकबा 1.27 हैक्टर व कृषि भूमि खसरा नम्बर 309 व 405 एवं 406 कुल किता 3 कुल रकबा 0.36 हैक्टर व कृषि भूमि खसरा नम्बर 1020, 1021, 1027 कुल किता 3 कुल रकबा 0.40 हैक्टर तन ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1006 से 1010, 1012, 306, 871 पैतृक होने के तथ्य अस्पष्ट होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया के [illegible]त्र में वर्णित प्रार्थीया द्वारा अपने पिता के जीवनकाल [illegible] अधिनियम के प्रावधानो व विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तो के विपरीत विधिक प्रकिया का दुरूपयोग करते हुये खातेदारी अधिकारो के विपरीत उद्घोषणा चाहते हुये वर्णित भूमियों का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.08 16:54:31 IST
Reason: SelfAttested

05 [illegible] सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

विभाजन व उद्घोषणा का वाद प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है, जो कि कानूनी प्रक्रिया के विपरीत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियां पैतृक होने व मिन उत्तरदाता द्वारा षडयंत्र कर प्रार्थीया के पिता के जीवनकाल में ही प्रार्थीया द्वारा वर्णित भूमियों बाबत उदघोषणा विधिक प्रक्रिया के विरूद्ध न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्तों का दुरूपयोग करते हुये प्रस्तुत की है, जो अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रथम सूचना रिपार्ट संख्या 222/2019 मिन उत्तरदाता महिपाल, मुकेश, सन्जू, सुशीला के विरूद्ध विचाराधीन होने के तथ्यों व मिन उत्तरदाता अप्रार्थी जगदीश की खातेदारी काश्त की भूमि से विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग कर मिन उत्तरदातागण द्वारा प्रार्थीया व उसके पति को भयाक्रान्त करने व प्रकरण में वर्णित भूमियों की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में मिन उत्तरदाता जगदीश के जीवनकाल में ही करवाने हेतु प्रार्थना पत्र मिथ्या व मनघडंत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीया का पिता जीवित है। जिसने प्रार्थीया का पालन पोषण कर विवाह आदि किया है। प्रार्थीया किसी दूसरे के बहकावे में आकर ही उक्त प्रार्थना पत्र टी.आई. पेश की गई है। जिसमें खातेदार को पाबन्द किया जाना कतई उचित नहीं होने से रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के खिलाफ किसी प्रकार का स्थगन आदेश जारी किया जाना उचित नहीं होने बाबत अवगत कराया है।

प्रार्थीया को जगदीश की खातेदारी काश्त की भूमि बाबत किसी भी प्रकार का हक व अधिकार जगदीश के जीवनकाल में नहीं होने व न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत अनुतोष चाहने व खातेदारी अपने हक में करवाने के तथ्य अस्वीकार ... प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किये जाने बाबत अवगत ... प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व न्याय ... प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार अप्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीया किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.08 16:54:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

04/08/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक),
श्रीमाधोपुर (सीकर)

की हकदार नही होने से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किये जाने का निवेदन वकील अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में किया है।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व दस्तावेजात् का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि प्रार्थना पत्र में दर्ज वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी प्रार्थीया के पिता जगदीश व उसकी माता पतासी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना प्रकट होता है। प्रार्थीया व अप्रार्थीगण एक ही परिवार से होकर एक ही पिता की संतान होकर आपस में सगे भाई–बहनें होना प्रतित होता है। जिसमें प्रार्थीया द्वारा अपने पिता से पैत्रृक सम्पति में अपने नोशनल शेयर से प्राप्त होने वाले विधिक हिस्से के खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा करवाने हेतु यह वादपत्र प्रस्तुत किया जाना प्रकट होता है। उक्त भूमियों के पैत्रृक भूमि होने से मृत्तक खातेदारान् के समस्त वारिसान् को जरिये विरासतन प्राप्त होने वाले अपने विधिक हिस्से तक के खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा करवाये जाने का कानूनन हक अधिकार होने से उक्त वादपत्र को प्रस्तुत किया जाना प्रकट होता है। पक्षकारान् प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के हक हकूक न्यायालय में विचाराधीन वादपत्र में चाही गई उद्घोषणा के माध्यम से ही निश्चित होगे। जिसमें बाद उभय पक्षकारान् की सुनवाई उपरान्त गुणावगुण के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा मूल वादपत्र में ही की जा सकती है। जिसके लिए मूल वादपत्र के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] किये जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र का पेश किया जाना प्रकट होता है।

प्रार्थना पत्र अस्थाई जारी करने के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा प्रमुख रूप से तीन बिन्दु कमश :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.08 16:54:31 IST
Reason: SelfAttested

04/09/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

1. प्रथम दृष्टवा मामला
2. सुविधा का सन्तुलन
3. अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त

1. **प्रथम दृष्टवा मामला** :— चूंकि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित वादग्रस्त आराजी भूमियों की खातेदारी प्रार्थीया व अप्रार्थीया के भाई बहिनों के पिता जगदीश पुत्र भगवाना एंव बुआ पतासी पुत्री भगवाना के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो उनके मृत्तक पिता भगवाना से आना प्रकट होता है। जिससे उक्त वादग्रस्त आराजी भूमियॉ पक्षकारान् की पैत्रक भूमियॉ होना पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड से स्पष्टतः प्रमाणित होती है। जिसके अनुसार प्रार्थीया द्वारा अपने पिता से पैत्रक सम्पति में अपने नोशनल शेयर से प्राप्त होने वाले विधिक हिस्से के खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा करवाने की प्रार्थीया अधिकारी है। जिसके कारण वादपत्र प्रार्थीया व भगवाना के अन्य वारिसान के नाम दर्ज खातेदारीशुदा भूमि होने से प्रार्थीया का प्रथम दृष्टवा मामला बनना प्रकट होता है। उक्तानुसार उक्त बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में तय किया जाता है।

2. **सुविधा का सन्तुलन** :— चूंकि प्रथम दृष्टवा मामला प्रार्थीया के पक्ष में तय हो चुका है। प्रार्थना पत्र में दर्ज भूमि प्रार्थीया को अपने पिता से मिलने वाली पैत्रक भूमि होने से प्रार्थीया को मिलने वाले नोशनल शेयर से प्राप्त हिस्से तक यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जावेगी तो प्रार्थीया को असुविधा होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.08 16:54:31 IST
Reason: SelfAttested

3. **अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त** :— यदि [illegible] भी जो प्रार्थीया को अपने पिता [illegible] प्राप्त होने वाले हिस्से की खातेदारीशुदा भूमि [illegible] जाने पर अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीया बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने पर अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीया को ही होगी।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
[illegible] (सीकर)

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) [illegible] (सीकर)

जिसके अनुसार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त उक्त तीनो बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में बखूबी साबित होना पाया जाता है।

आदेश

अतः ऐसी स्थिति में वकील प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य पाए जाने पर प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार की जाती है तथा अप्रार्थीगण को मूल वादपत्र के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 1006 से 1010, 1012, 306, 871 कुल किता 8 कुल रकबा 1.27 हैक्टर व भूमि खसरा नम्बर 309, 405 एंव 406 कुल किता 3 कुल रकबा 0.36 हैक्टर व भूमि खसरा नम्बर 1020, 1021, 1027 कुल किता 3 कुल रकबा 0.40 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में प्रार्थीया माया देवी को उसके पिता से प्राप्त होने वाले पैत्रृक हक हिस्से तक मौका एंव राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा प्रार्थीया के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

04/08/23
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.08 16:54:31 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 04.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04/08/23
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)